न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (593)

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी नि – 3357 – I – 16

अभिषेक पुत्र श्री अर्जुन सिंह, आयु 29 साल
व्यवसाय – कृषि, निवासी – ग्राम फतेहपुर
तहसील, बासौदा जिला– विदिशा (म०प्र०)

-- निगरानी कर्ता

दिनांक 28-9-16 को
श्री आर० बी० शर्मा
अभि० द्वारा प्रस्तुत।

28-9-16

92/28-9-16 SO

बनाम

1– अर्जुन सिंह पुत्र भवानी सिंह आयु 59 साल
व्यवसाय – कृषि निवासी फतेहपुर, जिला
विदिशा म॰प्र॰

2– श्रीमति रामकली पत्नी प्राण सिंह, पुत्री भवानी
सिंह निवासी – सिरोंज म॰प्र॰

3– श्रीमति रम्भा पत्नी केसरी पुत्री भवानी
सिंह, ,निवासी – ग्राम कोलीजा, जिला विदिशा

4– श्रीमति कुसुम बाई पत्नी नबल सिंह पुत्री भवानी
सिंह, निवासी ग्राम – ग्रोंद, जिला विदिशा म॰प्र॰

5– गजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम फतेहपुर
जिला विदिशा

6– जसवन्त सिंह पुत्र भवानी सिंह, निवासी बैहलोट
वायपास, कुमुदपैलेस के पीछे गंज बासौदा म प्र.

7– भागत सिंह, पुत्र प्राण सिंह, निवासी छवी
नाका सिरोंज, जिला विदिशा म॰प्र॰

— रेस्पोंडेन्टस

आर.बी.शर्मा
28-9-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र प्रदेश भू- राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.8.2016 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 25/15-16 अपील व उन्वान अभिभावक बनाम अर्जुन सिंह आदि में पारित आदेश के विरूद्ध।

माननीय न्यायालय,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार

प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य:-

1- यहकि ग्राम फतेहपुर की भूमि खसरानंबर 155, 158, 209, 259, 262, 294, 360, 364, व अन्य रकवा के संबंध मे खाते की पंजी पर विभाजन से व्यथित होकर विचारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है विभाजन की प्रक्रिया मे मे अपीलार्थी/ निगरानीकर्ता को पक्षकार नही बनाया है जब कि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की है और संयुक्त परिवार की भूमि को आधार बताकर ही उक्त विभाजन कराया गया है।

2- यह कि, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान शिवम पुत्र जसवन्त सिंह द्वारा आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि भवानी ... पर भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी हो

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

593

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3357-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	